

फर्द अहकाम

पतासी देवी बनाम सहायक अभियन्ता वगै०  
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)  
 मुकदमा नम्बर .....535 / 2024 दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

क.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	21-4-25	<p>पत्रावली पेश / वर्कौल उभय पक्ष उपस्थित / साक्षिक आदेशानुसार पत्रावली दिनांक <u>23-5-25</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी पावटा</p>
	23.5.25	<p>पत्रावली पेश। वादी पक्षीय उपस्थित। कार्य शिरो डाम से तब्दी जारी रहे। उतिवादी गण घेदू पत्रावली दिनांक 30/6/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी पावटा</p>
	30/6/25	<p>बंगुलाये फरीकन उपस्थित पीठासीन अधिकारी दोरे/अवकाश/प्रशा. कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक <u>28-7-25</u> को पेश हो।</p>
	28/7/25	<p>पत्रावली पेश। आर्थिक कीटने के कोई आबज नही। न्यायालय समप के डिक्रान कार-8 आवाज लगाने के बाद भी आर्थिक कीटने से कोई उपलब्ध नही जागे के कारण आर्थिक का उर्कना पर आबज निषेधाज्ञा का अदम हाजरी एवं अफम पेशी में खारिज सिपा जाता है। पत्रावली कैमल सुमार छेकड इर्नमक से कम हो बाद आबज इफ्त (हो)।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी पावटा (जिला-कोटपूतली बहरोड़)</p>